

कामांक प. 6(6)राजा- ८

जरस्थान सरकार
जरस्थ (युप-६) विभाग

जयपुर दिनांक - १२.१.२०८५

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि जिला कलकटर द्वारा आवंटन/संपरिवर्तन व अन्य प्रकरणों में राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाते समय उनके साथ संलग्न जमाबंदियों की प्रतियां पिछले कई वर्षों की संलग्न कर दी जाती हैं, जिसके कारण राज्य सरकार रुतर पर यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि पिछले सम्बत् की जमाबंदी के बाद में क्या खातेदारों के नाम में परिवर्तन हुआ है या नहीं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जब भी प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन/संपरिवर्तन एवं अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु भेजे जावे, उस समय उनके साथ वल रहे सम्बत् की जमाबंदी की प्रति भिजवाते हुए उसमें जो भी परिवर्तन हो, उसको जमाबंदी के प्रपत्र संख्या 26 के कॉलम नं. 11 से 17 में लाल स्थानी रो दर्शाया जाकर भिजवावे ताकि राज्य सरकार रुतर पर निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं हो।

(क.सी. अग्रणी) १८.१.२०८५
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपिता है:-

1. समरत संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समरत जिला कलकटर, राजस्थान।
3. निवन्धक, राजरव भण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. समरत उप शासन सचिव, राजरव।

शासन उप सचिव १८.१.२०८५